MR. SPEAKER: Professor, you are an educated person. You know what the rules are. What is the fun? You can give notice. Because rules do not permit I cannot allow. I go by the book.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East): Is there any objection for discussion?

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: There was guarantee by the Americans. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Professor, you are un-necessarily doing all this. What is the fun of it? You are transgressing the rules. I cannot allow.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I want to draw your attention. Why is the Government of India not.... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If a Professor does like this, what can I do?

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You must dictated by the sense of the rules.

18.13 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANT—CONTD.

REPORTED DISCONTENTMENT AMONG POLICE PERSONNEL IN VARIOUS STATES AND ACTION TAKEN BY GOVERNMENT.

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): माननीय सारण जी ने बहुत सारी बातें दोहरायी हैं जो पहले अन्य माननीय सदस्यों ने कहीं हैं। मैंने अभी बताया कि 1979 की पुलिस रिपोर्ट आने के बाद क्या क्या कार्यवाही की गई है। और....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Is he making a statement on Israel?

SHRI P. C. SETHI: I am replying to Shri Saran.

उसमें से जो सिफारिशें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तय की गई थीं उसके बारे में मैंने अभी जानकारी दी है और शेष रिपोर्ट का जो उन्होंने जिक्र किया वह मैंने बताया। बाकी अभी और रिपोर्ट 1981 में प्राप्त हुई है और सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि पुलिस विद्रोह कोई मामूली खतरा नहीं है और इसको हमको साधारण तौर पर नहीं लेना चाहिए। इसलिए पुलिस विद्रोह न हो, इसको हमें दोनों तरह से देखना है कि उनकी जो वाजिब शिकायतें हैं, उसकी भी पूर्ति हो और उसके साथ ही साथ उन में जो डिसिप्लिन का सवाल है, वह भी रहे।

उन्होंने और भी कुछ घटनाओं का जिक्र किया है, जिसका इस सवाल से संबंध नहीं है, पुलिस के द्वारा बलात्कार व दूसरी जो घटनाएं होती हैं, और उसका दलीय उपयोग होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पुलिस का दलीय उपयोग नहीं किया जाता है और जहां कहीं पुलिस के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, उनकी जांच की जाती है। उन्हें मालूम है कि इस संबंध में कई अधिकारी सस्पैंड किए गए हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिकेश बहादुर

श्री हरिकेश बहादुर: अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं।

MR. SPEAKER: No. You cannot raise. The Rule does not allow. Why are you violating the rules?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: फायदा क्या है उसका?

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Nothing is going on record. आप कानून को अधिकार दे रहे हैं।

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Not allowed.

इसका क्या इलाज है मेरे पास?

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Disallowed

आप नहीं कह सकते, *कानून और विधि के अनुसार नहीं कह सकते, क्यों बोलते हैं आप?

Shri Harikesh Bahadur.

श्री दौलत राम सारण (चुरु): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रमुख समाचार-पत्रों के बारे में सवाल पूछा था,

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिकेश बहादुर।

श्री दौलत राम सारण: उनके एडिटोरियल में और प्रमुख टिप्पणियों में बात आई हैं, उस संबंध में आपने कोई जानकारी नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय श्री हरिकेश बहादुर।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, उस में उन्होंने कहा कि 1979 में पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडू, जम्मू और काश्मीर तथा राजस्थान में व्यापक पुलिस अशांति रही और अनुशासनहीनता थी। लगता है कि यह वक्तव्य देने के पहले हमारे गृह मंत्री ने पूरे इतिहास को भुलाने की चेष्टा की है। इसकी शुरुआत 1979 में नहीं हुई थी।

इसकी शुरुआत 6 जून, 1953 को मद्रास राज्य के कई जिलों में पुलिस आन्दोलन से हुई थी और उसके बाद यह आन्दोलन तमाम राज्यों के अन्दर लगातार होता रहा। नवम्बर, 1957 में लखनऊ जिले की पुलिस ने विद्रोह किया और अफसरों के दुर्व्यवहार के कारण विद्रोह हुआ था। उसकी जानकारी भी मंत्री महोदय को रहनी चाहिए। 14 अप्रैल, 1967 को दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और 680 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। माननीय मंत्री जी को यह भी याद रखना चाहिए कि 1974 में उत्तर प्रदेश के अन्दर यह पुलिस आन्दोलन पी० ए० सी० के विद्रोह के रूप में भड़का, जहां पर कि सेना का व्यापक इस्तेमाल इस विद्रोह को दबाने के लिए किया गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन कभी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि 1974 के पहले जो पुलिस आन्दोलन हुआ था, उस में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए थी। उसके बाद सरकार को पुलिस कर्मचारियों के असंतोष को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए थे। वास्तविकता यह थी कि इसके आसार बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और उसी की परिणति 1979 और 1982 में भी हुई है। इसलिए केवल किसी पार्टी अथवा किसी सरकार विशेष को बदनाम करने से कोई

*Not recorded

फायदा नहीं होता। इसके पीछे जो वास्तविक कारण हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनकी वजह से जो इस प्रकार के आन्दोलन होते हैं, उनको समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने चाहिएं।

आप मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा उड़ीसा राज्य से भी पुलिस कर्मचारियों में असंतोष के कुछ मामले सूचित किए गए हैं। मंत्री महोदय की सूचना कितनी अधूरी है, वह सिर्फ इस बात से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का असंतोष व्याप्त हो गया है। वहां पर भी पुलिस कर्मचारियों ने धरना और अनशन किया था, लेकिन उसकी कोई भी सूचना मंत्री महोदय के वक्तव्य में नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत सरकार की जो इंटेलीजेंस एजेन्सीज है वह बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं करती है। इसके प्रमाण भी आ चुके हैं। इसलिए मैं व्यापकता में उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, इतना कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को जो सूचना देने वाली एजेन्सीज हैं, आर्गन्स है वह बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं या उनका इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश का भी नाम इस वक्तव्य में होता।

इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्यों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको सूचना नहीं मिल पाई? इस पर आप कृपया प्रकाश डालें।

आज देश की जनता के सामने यह सवाल है कि जनता को पुलिस से बचाओं और पुलिस को सरकार से बचाओ। जनता के ऊपर पुलिस के अत्याचार होते हैं, इसके बहुत से उदाहरण हैं, डाकुओं को पुलिस द्वारा संरक्षण देना, पुलिस द्वारा बलात्कार की घटनाएं। सिसुआ कांड, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो बलात्कार का कांड हुआ, बागपत में जो कांड हुआ, मैं यहीं पर यह कहना चाहता हूं कि नारायणपुर में पुलिस ने अत्याचार किया, और उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया गया। उसके बारे में जुडिशियल इन्क्वायरी बैठी, उसने कहा कि नारायणपुर में पुलिस ने कोई अत्याचार नहीं किया, महिलाओं पर बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया गया। हमारी प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि उन्हें गलत सूचना दी गई, जिस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया।

बागपत कांड में पुलिस ने जो महिलाओं पर अत्याचार किया, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन जुडिशियल इन्क्वायरी के बाद आज तक किसी भी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। पुलिस को अनुशासनहीन बनाने के लिए सरकार जिम्मेदार है क्योंकि जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं, उन पर कोई कार्यवाही नही की जाती। वक्तव्य में कहते हैं कि सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि वह पुलिस को अनुशासित रखेगी। अगर आपको उसे अनुशासित रखना है तो आपको अपराधी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से कौन रोकता है? लेकिन नहीं, एक विरोधी दल की सरकार थी, उसे भंग करने के लिए नारायणपुर कांड का सहारा लिया गया और बागपतकांड में जो पुलिस कर्मचारी अपराधी थे, आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे लगता है कि प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य स्वयं दिया, उसके आधार पर कहा जा

[श्री हरिकेश बहादुर]

सकता है कि सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा और भी तरह-तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनकी अनुशासन हीनता को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सत्ताधारी दल द्वारा अपने निहित स्वार्थों के लिए पुलिस का इस्तेमाल जगह-जगह होता है। बागपत कांड तो उसका एक उदाहरण है ही, साथ ही साथ गढ़वाल के अन्दर हरियाणा पुलिस के लोगों ने जो अत्याचार और उपद्रव किए, वह भी आपके सामने हैं। वह भी आपके ही समर्थन में वहां जाकर उपद्रव कर रहे थे। लेकिन क्या हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आपने उस समय कोई कार्यवाही की? क्या आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की? बगैर इन्क्वायरी के अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के तमाम पुलिस कर्मचारियों को आपने बर्खास्त कर दिया। एक तरफ आप यह काम करते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे वह काम कराते हैं जो नाजायज हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं करते, इसीलिए उसके बाद वह अनेक प्रकार के अपराध करते हैं।

तो उनको अनुशासनहीन बनाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इस बात के लिए मैं मौजूदा सरकार को दोषी ठहराता हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि अपराधी पुलिस कर्मचारियों को आप संरक्षण दे रहे हैं।

पुलिस का काम आज कल क्या है। अपनी मांग के लिए सरकार द्वारा दिए गए अस्त्र का इस्तेमाल वह सरकार के खिलाफ करती है क्योंकि सरकार उनकी तमाम कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देती। पुलिस की यह मात्र अनुशासनहीता है कि जो भी उसको हथियार देते हैं, उसका इस्तेमाल वह सरकार और जनता के खिलाफ करती है, उसका दुरूपयोग करती है, लेकिन साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारी पुलिस का सोचने का क्या स्तर हो गया है कि जब शांतिपूर्ण ढंग से पत्रकार अपना प्रदर्शन करते हैं तो वह बेरहमी से उनको पीटती है और वह भी आपके ही इशारे पर पीटती है। पटना का कांड इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। इस बात को मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। पुलिस के कारनामों के बारे में उन्होंने कहा है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं —

> "We felt very much distressed and deeply concerned about the increasing intensity of public complaints of oppressive behaviour and excesses by police. Is was apparent to us that public were fast losing confidence in the existing arrangements for checking gross abuse of powers by police and also in the ability of the police to deal effectively with the law and order and crime situation in the country."

यह बात तो पुलिस कमीशन ने ही अपनी रिपोर्ट में कही है और यह रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी थी। लेकिन क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम आज तक उठाये गये? अगर नहीं उठाये गए तो कौन जिम्मेदार है?

यह ठीक है कि हमारे पुलिस कर्मचारियों के सामने बहुत तरह की समस्याएं हैं, जिनका जिक्र लोगों ने किया है, अफसरों द्वारा सिपाहियों का शोषण होता है। वेतन और सेवा शर्तों में आज

तक कोई आवश्यक सुधार नहीं हुआ है। वेतन के बारे में इसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, मैं कोट करना चाहता हूं :—

"We feel that full justice has not been done in the past to policemen in regard to pay structure vis-a-vis other Services."

यह सारी बातें पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में दी हुई हैं। और भी बहुत सी बातें कही गई हैं जैसे पुलिस-कर्मियों की बेगार समाप्त नहीं की गई है। पुलिस कर्मियों के बच्चों की शिक्षा और उनके आवास को कोई व्यवस्था नहीं हुई है जिस के बारे में अभी हमारे पूर्ववक्ताओं ने यहां पर कहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस बिहार की पुलिस का इस्तेमाल आप पत्रकारों को पीटने के लिए करते हैं उसकी आज स्थिति यह है कि 49 हजार हेड-कांस्टेबलों में से सिर्फ 4 परसेंट को ही आज तक घर दिए गए हैं और बाकी को नहीं दिए गए हैं।

(व्यवधान)

49,00 Head Constables are there. Only 4 per cent to them have been given accommodation so far.

MR. SPEAKER: You verify that figure 49,000. Is it Head Constable or only Constables?

PROF. MADHU DANDAVATE: He has promoted them.

SHRI HARIKESH BAHADUR: I am sorry. It is 49,000 Head Constables and Constables. 80 per cent of the Police Constables retire as Police Constables. They are never promoted.

मुझे यह बात भी कहनी है कि 80 फीसदी कांस्टेबिल बिना किसी प्रमोशन के ही रिटायर हो जाते हैं। अगर उनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का कोई सुधार न दिया जाए, उनको कोई सुविधा न दी जाए, उनकी ग्रीवान्सेज को दूर न किया जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी ? मैंने जैसा भी आपके सामने कहा है, पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है :

"For example, in Bihar, which has about 49,000 Head Constables and Constables, accommodation has been given to 4 per cent of them."

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई के बारे में केवल वैस्ट बंगाल की सरकार ने ही सही प्रबन्ध किया है, अन्य किसी भी राज्य सरकार ने आजतक कुछ नहीं किया है। सत्ताधारी दल की भी तमाम राज्यों में सरकारें हैं लेकिन कहीं भी आजतक इसका कोई प्रबन्ध नहीं कराया गया हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हो ऐसा किया है और उसनें उनको ट्रेड यूनियन के राइट्स भी दिए हैं। स्वंय मुख्य मंत्री जी उनके सामने जाकर भाषण करते हैं और उनकी ग्रीवान्सेज को सुनते हैं तथा उनके सल्यूशन भी निकालते हैं। अगर यह बात एक जगह पर हो सकती है तो दूसरी जगहों पर क्यों नहीं हो सकती है ? मैं यह नहीं कहता कि आप तुरन्त ऐसा कर दीजिए लेकिन ऐसा करने की बात आपको सोचनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार किस तरह से इस काम को कर रही है।

प्रश्न के रूप में माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन पुलिसकर्मियों को बिना किसी जांच के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय ने एक समाचार दिया था जो कि तमाम

[श्री हरिकेश बहादुर]

न्यूज एजेंसीज के द्वारा सर्कुलेट हो गया था कि उस आन्दोलन को भड़काने में एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री का हाथ था लेकिन बाद में यह सारा समाचार वापिस ले लिया गया, तो क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे कि इस प्रकार की बात उन्होंने जो कही थी वह किस व्यक्ति पर आरोप लगाए थे और उनका इससे कहां तक सम्बन्ध था । इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री पुलिस-कर्मियों को अरेस्ट करने के बारे में आदेश जारी करने के बाद दिल्ली या किसी अन्य स्थान पर चले गये थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ? इतनी गम्भीर समस्या थी तो उन्हें स्वयं वहां पर उपस्थित रहकर अपने आर्डर्स को एग्जीक्यूट कराना चाहिए था और इस तरह की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए थी जिसमें उनके विरुद्ध कोई गैर-जिम्मेदारी की बात कही जा सके ।

क्या मंत्री जी इस बात को भी बतायेंगे कि पुलिसकर्मियों में जो अनुशासनहीनता है और अपराध करने वाले पुलिसकर्मियों को भी आप जो दण्डित नहीं कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका समर्थन किसी मौके पर किया था, इस प्रकार के लोगों को आप दण्ड देंगे और साथ साथ बागपत में जो काण्ड हुआ है जिसका मैंने जिक्र किया है, उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी आप कोई कार्यवाही करेंगे । इन तमाम बातों का जबाव देने की कृपा माननीय मन्त्री जी करें ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिकेश बहादुर जी ने पहला सवाल यह उठाया कि मैंने केवल 1979 का सवाल उठाया । इस में मेरी नीयत 1979 की स्थापित सरकार को बदनाम करने की थी । मैं पीछे के इतिहास में गया और 1953 का इतिहास उन्होंने बाद में बताया । 1979 का इतिहास बताने में मेरी इच्छा किसी भी सकार को बदनाम करने की नहीं थी । उस के पश्चात् मैंने वक्तव्य में दिया है कि पुलिस आयोग कायम किया है । मैंने यह भी बताया है कि पुलिस आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात् मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई । मैंने यह भी बताया है कि मुख्य मंत्रियों की बैठक में जो बातें तय हुई हैं, उनको अमल कराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जिसका हम भी पालन करने की कोशश कर रहे हैं । इसलिए उनका आरोप उचित मालूम नहीं देता कि किसी सरकार को बदनाम करने की नीयत से 1979 का उदाहरण दिया गया है और शेष उदाहरण नहीं दिए गए हैं ।

जहां तक अन्य राज्यों में असंतोष का सवाल है । उन्होंने खास तौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है । यह बात सही है कि हमारी जानकारी में यह प्रश्न नहीं है। अब उन्होंने यह जानकारी दी है, मैं जरूर इसके बारे में पूरी जांच करवाऊंगा । बागपत की रिपोर्ट के बारे में और पुलिस अधिकारियों के बारे में उन्होंने कहा है बागपत की रिपोर्ट आ गई है, इन्क्वायरी की, लेकिन कोई कार्य-वाही नहीं की है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं संबंधित सरकार से इस बारे में पूरी जानकारी लेकर उनको सूचित करूंगा कि वहां क्या किया गया है । मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि पुलिस का उपयोग हम कभी पार्टी के लिए नहीं करना चाहते हैं और जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का प्रश्न उन्होंने उठाया है, जैसा कि वैस्ट बंगाल ने किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण और अहम मसला है, विचार

करने के योग्य है, एक अच्छा सुझाव है । पुलिस आयोग ने इसको दिया है, मगर उस समय के जितने सुझाव मैं मुख्य मंत्रियों के वे तय हुए या नहीं हुए, इस पर विचार करने के लिए भी राज्य सरकारों को लिखेंगे ।

जहां पुलिस के कर्मचारियों को बरखास्त करने का प्रश्न है कि उनके लिए क्या करने जा रहे हैं । यह राज्य सरकारों का मसला है; वे उनके बारे में जैसा निर्णय करना चाहें कर सकते हैं । उसमें अगर कुछ लोगों को वापिस करना चाहते हैं या किसी का दोष नहीं है, ऐसे भी लोग बरखास्त कर दिए हैं, तो राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, उनको वापिस रखने के लिए ।

18.33 hrs.

STATEMENT RE: VISIT OF ALL-PARTY DELEGATION TO MEERUT

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI): Before we adjourn, I would like to say for the information of the House that an all-Party Goodwill Delegation is going to visit Meerut Tomorroy, the 6th October, 1982. I hope this visit will help in restoring peace and harmony between all communities. The composition of the Delegation, which has been done on the basis of consultations with hon. Leaders of the Opposition Parties, is as follows:—

Congress(I)	Shrimati Gurbinder Kaur Brar	
	Shri Gulsher Ahmad	
CPI(M)	.	Shri Sarma Mukherjee
Lok Dal	.	Shri Rasheed Masood
B.J.P.	.	Shri Daya Ram Shakya
Janata	.	Prof. Madhu Dandavate
D.M.K.	.	Shri C.T. Dhandapani
CPI.	.	Shri Indrajit Gupta
D.S.P.	.	Shri Asfaq Hussain
Congress(S)		Shri K.P. Unnikrishnan
Lok Dal(K)		Shri Ram Vilas Paswan
Congress(J)		Shri Nihal Singh
Muslim League		Shri G.M. Banatwalla
Janwadi Party	.	Shri Chandrajit Yadav
Forward Bloc	.	Shri Chitta Basu
R.S.P.	.	Shri Tridib Chaudhuri

This Delegation would leave at 11.00 a.m. from Parliament House and the conveyance would be available here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to reassemble at 11.00 a.m. tommorrow.

18.34 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, October 6, 1982/Asvina 14, 1904 (Saka).

GMGPIND—2173LS—22-11-82—890